



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 18, 2019/पौष 28, 1940  
No. 38] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 18, 2019/PAUSHA 28, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2019

**सा.का.नि. 39(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि अधिग्रहण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पास धनराशि जमा कराने का तरीका) नियम, 1998 को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया या करने का लोप किया गया है, अधिक्रान्त करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:--**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग (केन्द्रीय सरकार द्वारा रकम जमा कराने की रीति; भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अपेक्षित निधि उपलब्ध करवाना) नियम, 2019 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. स्पष्टीकरण – इन नियमों के प्रयोजनों के लिए,-**

- (क) “अधिनियम” से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) अभिप्रेत है।
- (ख) “सक्षम प्राधिकारी” से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के खंड (क) के अधीन नियुक्त भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (भू.अ.स.प्रा.) अभिप्रेत है।
- (ग) “कार्यकारी अभिकरण” का वही अर्थ होगा जो राष्ट्रीय राजमार्ग नियम, 1957 के नियम (2) के खंड (घ) के अधीन इसका है।

3. सक्षम प्राधिकारी को अपेक्षित निधियां उपलब्ध करवाने की रीति निम्नानुसार होगी :-

(i) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कार्यकारी अभिकरण, कार्यकारी अभिकरण द्वारा सीमाओं के प्राधिकरण के अनुसार विशिष्ट अधिकारिता के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे खाते के अभिगमन

के लिए व्यवस्था के साथ संपूर्ण देश में भूमि अधिग्रहण के लिए रकम के प्रेषण हेतु एक या अधिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में खाता खोलेगा और उसे बनाए रखेगा। कार्यकारी अभिकरण, अधिनिर्णय की घोषणा के पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई मांग पर वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक विनियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्रियाविधि के माध्यम से उसमें हितबद्ध भूस्वामियों या व्यक्तियों को संवितरण के लिए समय समय पर अपेक्षानुसार ऐसे खाते से रकम निकालने के लिए सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में अपेक्षित प्राधिकरण सीमाएं जारी करेगा और ऐसी परिक्रामी प्रकृति की उक्त प्राधिकरण सीमाएं, निम्नानुसार भूस्वामियों या उसमें हितबद्ध व्यक्तियों को संवितरण के लिए भू-अर्जन अभिकरण को और निर्देश किए बिना अपेक्षा अनुसार ऐसे खाते से धन निकालने के लिए सक्षम प्राधिकारी को हकदार बनाएंगी :-

(क) अधिनियम की धारा 3(छ) के अधीन अवधारित रकम, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने के पंद्रह दिन के भीतर, और

(ख) जहां अधिनियम की धारा 3(छ) की उपधारा (7) के अधीन मध्यस्थ द्वारा अवधारित रकम, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम से अधिक है, वहां ब्याज, यदि कोई हो, के साथ मध्यस्थ द्वारा अधिनिर्णीत अधिक रकम, मध्यस्थ के अधिनिर्णय की संसूचना के 30 दिन के भीतर, यदि ऐसा अधिनिर्णय व्यथित पक्षकारों में से किसी के द्वारा और चुनौती नहीं दिया गया हो।

**स्पष्टीकरण—** परिक्रामी प्रकृति की प्राधिकरण सीमाएं, निम्नानुसार एक दृष्टांत की सहायता से समझाई गई हैं:-

माना कि अधिनिर्णय की रकम 200 करोड़ रुपये है जिसके लिए भू.अ.स.प्रा.अर्जक/कार्यकारी अभिकरण से मांग करता है। कार्यकारी अभिकरण भू.अ.स.प्रा. के पक्ष में किसी भी समय 50.00 करोड़ रुपये की सीमा में केन्द्रीय खाते से 200 करोड़ रुपये तक की रकम निकालने का प्राधिकरण जारी करेगा। चूंकि भू.अ.स.प्रा. रकम का संवितरण करता है, 50.00 करोड़ रुपये की सीमा की स्वतः ही प्राप्ति होती रहेगी और 200 करोड़ रुपये के प्राधिकरण की कुल रकम का उपयोग होने तक ऐसा होता रहेगा।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कार्यकारी अभिकरण, यह सुनिश्चित करेगा कि भूस्वामियों या उसमें हितबद्ध व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 3 (छ) के अधीन सम्यक् रूप से अवधारित क्षतिपूर्ति की रकम के संवितरण के लिए सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में जारी की गई प्राधिकरण सीमा के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अपेक्षित खाता बनाए रखा गया है। और, उक्त प्राधिकरण सीमा सक्षम प्राधिकारी द्वारा संवितरण के आशयित प्रयोजन के लिए उपयोग की जाएगी और उसकी उचित मानीटरी और सुलह के प्रयोजन के लिए कार्यकारी अभिकरण की लेखा बहियों में सम्यक् रूप से दर्शित होगी और उस पर अर्जित कोई ब्याज उक्त खाते में जमा किया जाएगा और वह कार्यकारी अभिकरण का होगा।

(iii) उन मामलों में जहां किसी परियोजना का कार्यकारी अभिकरण कोई राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र है, अधिमानतः रकम वित्त मंत्रालय के लोक वित्तीय प्रबंध तंत्र के माध्यम से संवितरित की जाएगी।

(iv) सक्षम प्राधिकारी, बदले में भूस्वामियों या उसमें हितबद्ध व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति की रकम का वितरण अधिमानतः उनके अपने बैंक खातों में लैक्ट्रॉनिक ढंग से जमा करेगा।

4. जहां कार्यकारी अभिकरण द्वारा पूर्व में सक्षम प्राधिकारी के खाते में जमा की गई रकम असंवितरित रहती है, या जहां किसी खाते के लिए प्राधिकरण सीमा संवितरण प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में जारी की गई है किन्तु कतिपय रकम विवादों के कारण असंवितरित रह जाती हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ज की उपधारा (4) के निबंधनों में संकल्प के लिए मूल अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय को निर्देश योग्य हैं, वहां सक्षम प्राधिकारी ऐसे निर्देशों को न्यायालय में अग्रेषित करते हुए सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय को ऐसी असंवितरित रकम, जिसे ऐसे कोई विवाद निर्देश योग्य हैं, यथास्थिति उक्त विवादों का समाधान होते ही हकदार व्यक्तियों को या अपना दावा प्रस्तुत करने वाले हक धारकों को संदाय के लिए जमा करवाएगा, सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय के पास जमा ऐसी रकम अधिनियम की धारा 3ज की उपधारा (2) के अधीन सभी प्रयोजनों के लिए हकदार व्यक्तियों को किया गया संदाय समझी जाएगी।

[फा. सं. NH-11011/37/2018-LA (Pt-II)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th January, 2019

**G.S.R. 39(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (2) of section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), and in supersession of the National Highways (Manner of depositing the amount by the Central Government with the competent authority for acquisition of land) Rules, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:

**1. Short title and commencement: -**

- (1) These rules may be called the National Highways (manner of depositing the amount by the Central Government; making requisite funds available to the competent authority for acquisition of land) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Explanation. -** For the purposes of these rules, -

- (a) “Act” shall mean the National Highways Act, 1956 (48 of 1956).
- (b) “competent authority” shall mean the competent authority for land acquisition (CALA) appointed under clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956.
- (c) “executing agency” shall have the same meaning as assigned to it under clause (d) of rule (2) of the National Highways Rules, 1957.

**3. The manner of making requisite funds available to the competent authority shall be as follows: -**

- (i) Subject to provisions of the Act, the executing agency authorised by the Central Government in this behalf, shall open and maintain an account with one or more Scheduled Commercial Banks for remittance of the amount for land acquisition across the country, with arrangements for access to such account by the competent authority for specific jurisdiction as per authorisation of limits by the executing agency. The Executing Agency shall, on the demand raised by the competent authority before announcement of the award, issue requisite authorisation limits in favour of the competent authority for withdrawal of amount from such account as per requirements from time to time for disbursement to the landowners or persons interested therein through an electronic banking mechanism as per extant Reserve Bank of India regulations and the said authorisation limits, revolving in nature, shall entitle the competent authority to withdraw money from such account as per requirements, without any further reference to the land acquiring agency, for disbursement to the landowners or persons interested therein, as follows: -
  - (a) The amount determined under section 3(G) of the Act within fifteen days of the raising of demand by the competent authority, and
  - (b) Where the amount determined by the Arbitrator under sub-section (7) of Section 3G of the Act is in excess of the amount determined by the competent authority, the excess amount, together with interest, if any, awarded by the Arbitrator, within 30 days of the communication of Arbitrator's award, unless such Award has been further challenged by either of the aggrieved parties.

**Explanation.-** *The authorisation limits, revolving in nature, are explained with the help of an illustration as under: -*

*Say, the amount of award is Rs. 200 crore for which the CALA places demand on the acquiring/ executing agency. The executing agency shall issue an authorisation in*

*favour of CALA to draw an amount up to Rs. 200 crore from the Central account, in limits of Rs. 50.00 crore at any point in time. As the CALA keeps disbursing the amount, the limit of Rs. 50.00 crore shall keep getting automatically recouped and so on till the utilisation of total amount of authorisation of Rs. 200 crore.*

- (ii) The executing agency, authorised by the Central Government in this behalf, shall ensure that the requisite account is maintained with a Scheduled Commercial Bank, against which an authorisation limit is issued in favour of the competent authority for disbursement of the compensation amount, duly determined under Section 3(G) of the Act, to the landowners or persons interested therein. Further, the said authorisation limit shall be utilised by the competent authority for the intended purpose of disbursement and shall be duly reflected in the books of accounts of the executing agency for the purpose of proper monitoring and reconciliation thereof and any interest earned thereon shall be credited into the said account and shall belong to the executing agency.
  - (iii) In cases where the executing agency of a project is any State Government or Union territory, the amount shall preferably be disbursed through the Public Financial Management System of the Ministry of Finance.
  - (iv) The competent authority shall, in turn, disburse the compensation amount to the landowners or the persons interested therein preferably by electronically crediting the said amount into their respective bank accounts.
4. Where the amount deposited earlier by the executing agency into the account of the competent authority has remained undisbursed, or where the authorisation limit for an account has been issued in favour of the competent authority for disbursement purposes but certain amounts remain undisbursed, due to disputes which are referable to the principal civil court of original jurisdiction for resolution in terms of sub-section (4) of section 3H of the National Highways Act, 1956, the competent authority shall, while forwarding such references to the Court, cause such undisbursed amounts to be deposited with the principal court of civil jurisdiction to whom any such disputes are referable, for payment to entitled persons as and when the said disputes are resolved, or the absentee title-holders submit their claims, as the case may be, such amounts deposited with the principal court of civil jurisdiction shall, for all purposes, be deemed as payment made to entitled persons under sub-section (2) of section 3H of the Act.

[F. No. NH-11011/37/2018-LA (Pt-II)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.